

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर रू0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on improved technology Hyv (Assistant @ Rs. 3600/-acre.) Rabi-2022-23							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	75	2.70	60	2.16	15	0.54
2	Bhiwani	95	3.42	76	2.74	19	0.68
3	Hisar	75	2.70	60	2.16	15	0.54
4	Jhajjar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
5	Mewat	65	2.34	52	1.87	13	0.47
6	Palwal	70	2.52	56	2.02	14	0.50
7	Rohtak	90	3.24	72	2.59	18	0.65
8	C.Dadri	75	2.70	60	2.16	15	0.54
	Total	625	22.50	500	18.00	125	4.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में पीला या धारीदार रतुआ प्रतिरोधी किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

पीला या धारीदार रतुआ प्रतिरोधी किस्मों में गेहूँ के समूह प्रदर्शन प्लॉट पर ₹0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Yellow Rust resistant varieties (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	80	2.88	64	2.30	16	0.58
2	Bhiwani	90	3.24	72	2.59	18	0.65
3	Hisar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
4	Jhajjar	70	2.52	56	2.02	14	0.50
5	Mewat	60	2.16	48	1.73	12	0.43
6	Palwal	70	2.52	56	2.02	14	0.50
7	Rohtak	80	2.88	64	2.30	16	0.58
8	C.Dadri	60	2.16	48	1.73	12	0.43
	Total	590	21.24	472	16.99	118	4.25

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / महिला किसान / लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) में गेहूँ में संसाधन संरक्षण ऊर्जा प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> under the link [E-Agri Schemes Governance link](#) पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

संसाधन संरक्षण ऊर्जा प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर ₹0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Resource conservantion energy management (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	90	3.24	72	2.59	18	0.65
2	Bhiwani	130	4.68	104	3.74	26	0.94
3	Hisar	90	3.24	72	2.59	18	0.65
4	Jhajjar	100	3.60	80	2.88	20	0.72
5	Mewat	70	2.52	56	2.02	14	0.50
6	Palwal	80	2.88	64	2.30	16	0.58
7	Rohtak	110	3.96	88	3.17	22	0.79
8	C.Dadri	80	2.88	64	2.30	16	0.58
	Total	750	27.00	600	21.60	150	5.40

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / महिला किसान / लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में गेहूँ में एकीकृत पोषक प्रबंधन/एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाईन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

गेहूँ में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन / एकीकृत गेहूँ प्रबंधन के समूह प्रदर्शन प्लांट पर रू0 3600/- प्रति एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat- Cluster demonstration on Integrated Nutrient Management/ Integrated Wheat Management (Assistant @ Rs. 3600/- acre.) Rabi-2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	55	1.98	44	1.58	11	0.40
2	Bhiwani	60	2.16	48	1.73	12	0.43
3	Hisar	40	1.44	32	1.15	8	0.29
4	Jhajjar	45	1.62	36	1.30	9	0.32
5	Mewat	40	1.44	32	1.15	8	0.29
6	Palwal	45	1.62	36	1.30	9	0.32
7	Rohtak	50	1.80	40	1.44	10	0.36
8	C.Dadri	40	1.44	32	1.15	8	0.29
	Total	375	13.50	300	10.80	75	2.70

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से अधिक के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से अधिक के बीज वितरण पर रु0 1000/- किंटल सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat Distribution of Hyvs Seeds (More than 10 year) Rabi-2022-23.(Assistance @ Rs. 1000/- Qtl.)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	170	1.70	136	1.36	34	0.34
2	Bhiwani	160	1.60	128	1.28	32	0.32
3	Hisar	160	1.60	128	1.28	32	0.32
4	Jhajjar	140	1.40	112	1.12	28	0.28
5	Mewat	160	1.60	128	1.28	32	0.32
6	Palwal	140	1.40	112	1.12	28	0.28
7	Rohtak	140	1.40	112	1.12	28	0.28
8	C.Dadri	130	1.30	104	1.04	26	0.26
	Total	1200	12.00	960	9.60	240	2.40

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से कम के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-12-2022 तक कर सकते हैं।

अधिक उपज देने वाली किस्मों में 10 वर्षों से कम के बीज वितरण पर ₹0 2000/- क्विंटल सामान्य वर्ग / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (distribution of Hyvs Seeds)							
Less than 10 year Rabi-2022-23 (Assistance Rs. 2000/- per qtl.)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	200	4.00	160	3.20	40	0.80
2	Bhiwani	175	3.50	140	2.80	35	0.70
3	Hisar	220	4.40	176	3.52	44	0.88
4	Jhajjar	180	3.60	144	2.88	36	0.72
5	Mewat	180	3.60	144	2.88	36	0.72
6	Palwal	200	4.00	160	3.20	40	0.80
7	Rohtak	180	3.60	144	2.88	36	0.72
8	C.Dadri	169	3.38	135	2.70	34	0.68
	Total	1504	30.080	1203	24.064	301	6.016

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / महिला किसान / लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार / सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि
[अधिकारी / उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में सूक्ष्म पौषक तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 कर सकते हैं।

सूक्ष्म पौषक तत्व पर ₹0 200/- एकड सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Wheat (Micronutrients) Rabi-2022-23 (Assistant @ Rs. 200/-acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	450	0.90	360	0.72	90	0.18
2	Bhiwani	403.75	0.81	323	0.65	80.75	0.16
3	Hisar	550	1.10	440	0.88	110	0.22
4	Jhajjar	550	1.10	440	0.88	110	0.22
5	Mewat	525	1.05	420	0.84	105	0.21
6	Palwal	535	1.07	428	0.86	107	0.21
7	Rohtak	540	1.08	432	0.86	108	0.22
8	C.Dadri	400	0.80	320	0.64	80	0.16
	Total	3953.75	7.908	3163	6.326	790.75	1.582

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में पौध संरक्षण रसायन व जैव एजेंट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन व जैव एजेंट पर रू0 200/- एकड सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM-Wheat in PP Chemicals & Bio Agents- Rabi 2022-23 (Assistant Rs. 200/- per acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	480	0.96	384	0.77	96	0.19
2	Bhiwani	510	1.02	408	0.82	102	0.20
3	Hisar	462.5	0.93	370	0.74	92.5	0.19
4	Jhajjar	450	0.90	360	0.72	90	0.18
5	Mewat	450	0.90	360	0.72	90	0.18
6	Palwal	450	0.90	360	0.72	90	0.18
7	Rohtak	500	1.00	400	0.80	100	0.20
8	Ch. Dadri	400	0.80	320	0.64	80	0.16
	Total	3702.5	7.405	2962	5.924	740.5	1.481

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में खरपतवार नाशि पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

खरपतवार नाशि पर ₹0 200/- एकड़ सामान्य वर्ग/ 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical & Financial targets of NFSM-Wheat Distribution of Weedicides during Rabi-2022-23 (Assistant @ Rs. 200/-acre or 50% of cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	550	1.10	440	0.88	110	0.22
2	Bhiwani	450	0.90	360	0.72	90	0.18
3	Hisar	450	0.90	360	0.72	90	0.18
4	Jhajjar	350	0.70	280	0.56	70	0.14
5	Mewat	550	1.10	440	0.88	110	0.22
6	Palwal	450	0.90	360	0.72	90	0.18
7	Rohtak	450	0.90	360	0.72	90	0.18
8	C.Dadri	500	1.00	400	0.80	100	0.20
	Total	3750	7.50	3000	6.00	750	1.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि
[अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में किसान भाईयों को कृषि उपकरणों के अंतर्गत हस्तचालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरणों के अंतर्गत सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 600/-रूपये प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Tentative Physical Financial targets for distribution of Farm Implements & equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Wheat Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	65	0.39	52	0.31	13	0.08
2	Bhiwani	75	0.45	60	0.36	15	0.09
3	Hisar	75	0.45	60	0.36	15	0.09
4	Jhajjar	70	0.42	56	0.34	14	0.08
5	Mewat	72	0.43	58	0.35	14	0.09
6	Palwal	65	0.39	52	0.31	13	0.08
7	Rohtak	70	0.42	56	0.34	14	0.08
8	Ch. Dadri	65	0.39	52	0.31	13	0.08
	Total	557	3.342	446	2.674	111	0.668

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी तथा रोहतक (8 जिलों) जिलों में किसान भाईयों को कृषि उपकरणों के अंतर्गत मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

कृषि उपकरणों के अंतर्गत मोटर/बैटरी चालित स्प्रे पम्प पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3000/- रुपये, प्रति स्प्रे पम्प पर अनुदान दिया जाएगा।

District Wise Tentative Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer- Capacity above 12-16 lts.) under NFSM- Wheat Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in Nos.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in Nos)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	65	1.950	52	1.560	13	0.390
2	Bhiwani	75	2.250	60	1.800	15	0.450
3	Hisar	75	2.250	60	1.800	15	0.450
4	Jhajjar	70	2.100	56	1.680	14	0.420
5	Mewat	65	1.950	52	1.560	13	0.390
6	Palwal	65	1.950	52	1.560	13	0.390
7	Rohtak	70	2.100	56	1.680	14	0.420
8	Ch. Dadri	65	1.950	52	1.560	13	0.390
	Total	550	16.500	440	13.2	110	3.300

विशेष दिशा निर्देश:—

1. एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा